न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1325–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–5–15 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद अपील प्रकरण कमांक 106/अपील/2013–14.

1– राजेश कुमार वल्द स्व. झब्बूलाल बडोनिया
2– मनोज कुमार वल्द स्व. झब्बूलाल बडोनिया
3– बृजेश कुमार वल्द स्व. झब्बूलाल बडोनिया
निवासीगण शॉपिंग सेन्टर सारणी
तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
4– पंकज आ. स्व. झब्बूलाल बड़ोनिया
निवासी 1262 सारणी
तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती चम्पा पत्नी स्व. अमृतलाल बडोनिया
निवासी शास्त्री वार्ड सदर बैतूल जिला बैतूल
2– बुधियाबाई पत्नी स्व. हरिनारायण
निवासी शॉपिंग सेन्टर सारणी
तहसील घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल
3– विवेक पंडया आ. स्व. राकेश पंडया
4– अक्षय पंडया आ. स्व. राकेश पंडया
5– प्रज्ञा पंडया पुत्री स्व. राकेश पंडया
निवासीगण मण्डला चौक सेन्ट्रल स्कूल रोड
डूंडा सिवनी तहसील व जिला सिवनी
6– श्रीमती कमलेश कोठिया पुत्री स्व. झब्बूलाल बडोनिया
पत्नी रविशंकर कोठिया
निवासी नरसिंहपुर रोड पंजाब भवन के पास छिंदवाड़ा
तहसील व जिला छिंदवाड़ा .....अनावेदकगण

श्री विश्वास सोनी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेश पटेल, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 व 2
श्री बी.के. यदुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक क. 3 से 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पाठाखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 62 रकबा 2.833 हेक्टेयर झब्बूलाल एवं अमृतलाल दोनों सगे भाई एवं उनके बहनोई हरिनारायण द्वारा शामिल शरीक पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 26–12–1975 को कय की गई, और राजस्व अभिलेखों में उनके नाम भी दर्ज हो गये थे अर्थात प्रश्नाधीन भूमि में झब्बूलाल, अमृतलाल एवं हरिनारायण का 1/3–1/3 हिस्सा था । अमृतलाल एवं हरिनारायण की मृत्यु होने पर उनके वारिसान का नाम राजस्व अभिलेखों में आना चाहिए था, परन्तु झब्बूलाल द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया एवं झब्बूलाल की मृत्यु उपरांत उसके वारिसान आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हुआ । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, शाहपुर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–1–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि पर अंकित नामों के साथ श्रीमती चम्पा पत्नी स्व. अमृतलाल एवं मुलिया पत्नी हरिनारायण के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 12–5–15 को आदेश पारित कर अपील नस्तीबद्ध की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु केवल यही है कि क्या आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रचलित रहने के कारण अपील नस्तीबद्ध करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है अथवा नहीं । इस संबंध में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क मुख्य रूप यह आधार लिया गया है कि आयुक्त द्वारा इस आधार पर अपील निरस्त करने में विधि की गंभीर भूल की गई है कि प्रश्नाधीन संपत्ति के संबंध में व्यवहार वाद लंबित है, ऐसी स्थिति में न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा अपील को सुनवाई में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मात्र व्यवहार न्यायालय में वाद लंबित रहने के आधार पर राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही स्थगित अथवा समाप्त नहीं की जा सकती है, जब तक व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त न हो । लिखित

तर्क में उठाये गये अन्य आधार इस प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं होने से उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) चूंकि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पंचम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बैतूल के समक्ष व्यवहार वाद कमांक 17 ए/2014 स्वत्व उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है, अतः व्यवहार न्यायालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आयुक्त द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है ।

(2) आवेदकगण राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 1218–पीबीआर/14 आदेश दिनांक 18–2–14 को तहसीलदार घोड़ाडोंगरी के प्रकरण कमांक 54/अ–6/13–14 मनोज कुमार विरूद्ध श्रीमती चम्पा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15–10–15 में आदेश पारित कर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित पूर्णतः वैधानिक आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई औचित्य इस निगरानी में नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य पाकर निगरानी निरस्त की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने के कारण उनके समक्ष प्रचलित अपील को नस्तीबद्ध किया गया है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित प्रकिया नहीं है क्योंकि जब तक व्यवहार न्यायालय अथवा वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त न हो तो तब तक राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही न तो रोकी जा सकती है, और ना ही समाप्त की जा सकती हैं । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर, प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–5–15 निरस्त किया जाकर, प्रकरण गुणदोष पर निराकरण किये जाने हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर